न्यायालय– अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0 1, कन्नौज।

प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1566/2022

C.N.R.No.U.P.K.J.010042832022

1. बालकराम उर्फ धुऑधार उम्र 75 वर्ष पुत्र रमई निवासी शेखपुर धर्मशाला, थाना बिल्हौर जिला कानपुर नगर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य ..... अभियोजन पक्ष

अपराध सं0 670/2019
धारा–147,148,149,323,504,506 व 308
भा0दं0सं0
थाना कन्नौज, जिला कन्नौज।

एवं

प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1601/2022

C.N.R.No.U.P.K.J.010042492022

1. लालता प्रसाद उम्र 62 वर्ष पुत्र घासीराम।
2. धर्मेन्द्र कुमार उम्र 30 वर्ष पुत्र लालता प्रसाद।
3. चन्द्रपाल उम्र 21 वर्ष पुत्र राधेश्याम

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य ..... अभियोजन पक्ष

अपराध सं0 670/2019
धारा–147,148,149,323,504,506 व 308
भा0दं0सं0
थाना कन्नौज, जिला कन्नौज।

निरस्तारण जमानत प्रार्थनापत्र

20.10.2022

उपरोक्त दोनों जमानत प्रार्थनापत्र एक ही घटनाक्रम व एक ही अपराध संख्या तथा धाराओ से सम्बन्धित है इसलिये सुविधा की दृष्टि से दोनों जमानत प्रार्थनापत्रों का निस्तारण एक किया जा रहा है।

प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/ अभियुक्त बालकराम उर्फ धुऑधार की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वह निर्दोष है। उसे रंजिशन झूठा फॅसाया गया है। वादी मुकदमा ने 12 लोगो के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है। घटना दिनांक 05.09.2019 को समय 07:00 बजे शाम की बतायी गयी है। एफ0आई0आर0 घटना के तीन दिन बाद विलम्ब से दर्ज करायी गयी है इस विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। वादी मुकदमा ने अपने बयान धारा 161 सी0आर0पी0सी0 में यह कथन किया है कि दिनांक 05.09.2019 को समय करीब 07:00 बजे शाम उसकी दादी जयदेवी व उसका भाई विमलेश घर पर थे जबकि वादी मुकदमा ने 6 लोगों का चिकित्सीय परीक्षण कराया है। वास्तविकता यह है कि घटना दिनांक 05.09.2019 को समय 07:30 बजे वादी व वादी पक्ष के लोगों ने एक राय होकर लाठी–डण्डा एवं नाजायज हथियार से लैश होकर हमला बोल दिया था। जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रार्थी/ अभियुक्त के रिश्तेदार धर्मेन्द्र ने दर्ज करायी थी। वादी ने अपने बयान धारा 161 सी0आर0पी0सी0 में कहा है कि उसने घर में घुसकर जान से मारने की नियत से फायर करने वाली बात बढ़ा चढ़ाकर लिखाई है। मुकदमे का क्रास है। क्रास के मुकदमे में विमलेश व महेश चन्द्र की जमानत दिनांक 30.07.2022 को स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी/ अभियुक्त बालकराम 75 वर्षीय तथा लालता 62 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति हैं। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

उक्त आशय का शपथपत्र प्रस्तुत करते हुए उचित मुचलके व जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

उपरोक्त के विरूद्ध विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

अभियोजन कहानी के अनुसार वादी मुकदमा कमलेश कुमार द्वारा थाना कन्नौज जिला कन्नौज में इस आशय की लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 05.09.2019 को समय करीब 07:00 बजे शाम उसकी दादी जय देवी व उसका भाई विमलेश अपने घर पर थे उसी समय गॉव के लालता, राकेश, धर्मेन्द्र कुमार, सुदामा, गोबिन्द, जितेन्द्र, देवकी, रोहित, चन्द्रपाल, शकुन्तला, रेखा व धुॅआधार खेत के विवाद को लेकर एक राय होकर लाठी–डण्डा व तमंचे व अवैध असलाह लेकर घर में बुरी–बुरी गालियॉ देते हुए घुस आये और दादी व उसके भाई विमलेश ने उक्त लोगों को रोका तो उक्त लोगों ने उन्हें लाठी–डण्डे व तमंचे की वटों से मारापीटा। जब तक गॉव के काफी लोग दौड पडे व उन्होंने घटना देखी एवं उक्त लोगों को ललकारा तब उक्त लोग दादी व भाई पर तमंचे से जान से मारने की नियत से फायर करते हुए, जान से मारने की धमकी देते हुए व हवाई फायर करते हुए भाग गये। घटना से गॉव में अफरा–तफरी मच गयी तथा लोगों ने डर की वजह से अपने खिडकी दरवाजे बंद कर लिये तथा उक्त लोगों का गॉव में आतंक व्याप्त हो गया। उसकी दादी के सिर में प्राणघातक गंभीर चोटे आयी तथा वह मौके पर ही बेहोश हो गयी। घायल हालत में दादी व भाई विमलेश को लेकर थाने आये जहॉ से जिला अस्पताल डॉक्टरी मुआयने हेतु भेजा गया। हालत गंभीर होने की वजह से हैलट कानपुर के लिये रिफर किया गया। अतः रिपोर्ट लिखकर उचित कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया।

वादी की उक्त तहरीर के आधार पर अपराध सं0 670/2019 धारा 147,148,149,452,323,504,506, 307 व 308 भा0दं0सं0 में अभियुक्तगण लालता, राकेश, धर्मेन्द्र कुमार, सुदाम, गोविन्द, जितेन्द्र, रोहित, देवकी, चन्द्रपाल, धुआधार, शकुन्तला व रेखा के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी। बाद विवेचना धारा 307 व 452 भा0दं0सं0 का लोप करते हुए उपरोक्त अपराध संख्या में अभियुक्तगण लालता, धर्मेन्द्र, देवकी, चन्द्रपाल, बालकराम उर्फ धुआधार, शकुन्तला के विरूद्ध धारा 147,148,149,323,504,506 व 308 भा0दं0सं0 में आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

उभय पक्षों के तर्कों को सुना एवं सत्र परीक्षण वाद की पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियोजन कहानी के अनुसार अभियुक्तगण पर आरोप है कि दिनांक 05.09.2019 को समय करीब 07:00 बजे शाम वादी की दादी जय देवी व वादी का भाई विमलेश अपने घर पर थे उसी समय गॉव के लालता, राकेश, धर्मेन्द्र कुमार, सुदामा, गोबिन्द, जितेन्द्र, देवकी, रोहित, चन्द्रपाल, शकुन्तला, रेखा व धुॅआधार खेत के विवाद को लेकर एक राय होकर लाठी–डण्डा व तमंचे व अवैध असलाह लेकर घर में बुरी–बुरी गालियॉ देते हुए घुस आये और वादी की दादी व वादी के भाई विमलेश ने उक्त लोगों को रोका तो उक्त लोगों ने उन्हें लाठी–डण्डे व तमंचे की वटों से मारापीटकर गंभीर चोटे पहुंचायी।

पत्रावली में मजरूबान सोनी, आरती, संतोषी, विमलेश व जयदेवी की चिकित्सीय आख्या शामिल है जिनके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उन्हें साधारण चोटें आयी है और सभी चोटे किसी कठोर कुन्द वस्तु से आयी है। पत्रावली में जयदेवी की एक्सरे रिपोर्ट शामिल है जिसमें Crack Fracture of test temporal pariteal region seen and Fracture Lower end of femer Bone seen पाया गया है।

अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि जय देवी की मृत्यु इसी झगडे में आयी चोटों के कारण हुई है।

इस पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि झगडा दिनांक 05.09.2019 को हुआ था और पोस्टमार्टम दिनांक 10.11.2019 को हुआ है और मृतका की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है न की उक्त झगडे में आयी चोटों के कारण।

सी0डी0 के पर्चा 10 में जय देवी के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर राजेन्द्र कुमार शर्मा का धारा 161 सी0आर0पी0सी0 का बयान विवेचक द्वारा अंकित किया गया है, जिसमें मृतका की मृत्यु हृदय गति रूकने से होना पाया गया है। इसमें शरीर पर कोई चोट नहीं थी। इस प्रकार से मृतका की मृत्यु विवाद होने के दो महीने बाद हुई है और पोस्टमार्टम में मृतका जय देवी की मृत्यु का कारण हृदय गति रूकने से होना बताया गया है। मृतका की मृत्यु झगडे में आची चोटों से न होकर हृदय गति रूकने से हुई है।

अभियुक्तगण की ओर से फेहरिस्त के माध्यम से मु0अ0सं0 667/2019 की छायाप्रति दाखिल की गयी है जिसमें प्रस्तुत प्रकरण के वादी कमलेश सहित कुल दस लोगों के विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरण के अभियुक्तगण पक्ष से धारा 147,148,149,323,506,307,392,354,404 च 504 भा0दं0सं0 में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उभय पक्षों के मध्य आपस में झगडा हुआ है और दोनों का क्रॉस केस चल रहा है। अभियुक्तगण द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र में यह भी तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण बालकराम व लालता की उम्र 75 एवं 62 वर्ष है जो कि वृद्ध व्यक्ति हैं।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियॉ अपराध की प्रकृति व गंभीरता को देखते हुए इस स्तर पर केस के गुणदोष पर न जाते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार पाते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण की ओर से उपरोक्त वर्णित मामले में प्रस्तुत दोनों जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाते हैं। अभियुक्तगण को मु0 एक–एक लाख रूपये की दो–दो जमानतें एवं उतनी ही धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र सम्बन्धित न्यायालय/ मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये। जमानत आदेश की एक प्रति जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 1601/2022 लालता आदि बनाम राज्य में रखी जाये।

(विश्वम्भर प्रसाद)
अपर सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं0 1, कन्नौज।
आई0 डी0 नं0–5894